OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर

प्रेस नोटः-

"श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0,महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास एवं 13 हजार रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरणः-

अवगत कराना हैं कि अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने,दुष्कर्म करने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में दिनांक 24.07.2018 को थाना पटवाई पर मु0अ0सं0- 156/18 धारा- 363,366,376,506 भादवि, 6/7 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 sc/st एक्ट बनाम 1. अहमद अली पुत्र मौ0 अली निवासी ग्राम एचोरा थाना पटवाई, 2. शब्बन पुत्र बब्बन निवासी मौहम्मदनगर थाना केमरी, 3. नसरीन पत्नी बाबू निवासी किसरौल थाना भोट जनपद रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरुप आज दिनांक- 09.10.2024 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ADJ-8, रामपुर द्वारा अभियुक्त अहमद अली उपरोक्त को 07 वर्ष का कारावास एवं 13 हजार रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं अभि0 शब्बन तथा नसरीन उपरोक्त को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया।

सजा का विवरणः-

अभियुक्त अहमद अली पुत्र मौ0 अली निवासी ग्राम एचोरा थाना पटवाई जनपद रामपुर को 07 वर्ष का कारावास एवं 13 हजार रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।